भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3203
दिनांक 06 अगस्त, 2026

एसएटीएटी योजना के अंतर्गत संपीड़ित बायो-गैस सयंत्र

3203. **श्री देवेश शाक्यः**

श्री नीरज मौर्यः

श्री बाबू सिंह कुशवाहाः

श्री लालजी वर्माः

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में, विशेषकर उत्तर प्रदेश राज्य और जौनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत, 'सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवार्डस् अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन' (एसएटीएटी) योजना के तहत संपीड़ित बायो-गैस (सीबीजी) संयंत्रों की स्थापना के लिए वर्ष 2025-26 के दौरान जारी कुल निधि में से जमीनी स्तर पर उपयोग की गई वित्तीय सहायता का वास्तविक प्रतिशत कितना है तथा इसके तहत स्वीकृत और स्थापित कुल संयंत्रों की संख्या कितनी है;

(ख) उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों और जौनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भूमि से जुड़ी समस्याओं, कचरे और फसल के अवशेष सहित फीडस्टॉक की आपूर्ति के मुद्दों, तकनीकी बाधाओं या अन्य कारणों से कितने स्वीकृत संयंत्रों में निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है तथा इसके प्रमुख कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है या आकलन किया है कि इस योजना के तहत बायो-गैस की खरीद, गैस आपूर्ति समझौतों के निष्पादन तथा पाइपलाइन और अन्य आवश्यक अवसंरचना के विकास में तेल विपणन कंपनियों द्वारा अत्यधिक प्रशासनिक देरी की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने विशेष रूप से जौनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बायो-गैस संयंत्रों और कृषि अवशेष प्रबंधन इकाइयों के माध्यम से स्थानीय ग्रामीण युवाओं के लिए तकनीकी और गैर-तकनीकी क्षेत्रों में सतत् रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कोई योजना बनाई है या किसी विशेष योजना को लागू कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (घ) सरकार ने पूरे देश में संपीड़ित जैवगैस (सीबीजी) संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन (गोबरधन) पहल के तहत कई मंत्रालयों और विभागों को शामिल करते हुए "संपूर्ण सरकार" के दृष्टिकोण को अपनाया है। सरकार, उत्तर प्रदेश और जौनपुर

संसदीय क्षेत्र सहित पूरे देश में सीबीजी परियोजनाओं के लिए एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु विभिन्न नीतिगत और संस्थागत सक्षमकर्ता प्रदान कर रही है, जिनमें से किफायती परिवहन के लिए दीर्घकालिक विकल्प (एसएएएसएटी) एक ऐसी ही पहल है।

एसएएएसएटी पहल के तहत, तेल और गैस विपणन कंपनियां (ओजीएमसीज) सीबीजी की अधिप्राप्ति के लिए उद्यमियों से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओएल) आमंत्रित करती हैं। सरकार, एसएएएसएटी पहल के तहत सीबीजी संयंत्रों की स्थापना हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती है।

उद्यमियों द्वारा सीबीजी संयंत्रों की स्थापना उनकी परियोजनाओं की तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर की जाती है। गोबर्धन पोर्टल से संकलित जानकारी के अनुसार 31 जुलाई, 2026 की स्थिति के अनुसार 217 सीबीजी संयंत्रों को कमीशन किया गया है, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता लगभग 1,773 टन प्रतिदिन है, जिसमें एसएएएसएटी और सीबीजी-सीजीडी सिंक्रोनाइजेशन योजना के अंतर्गत 180 सीबीजी संयंत्र शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश में 41 सीबीजी संयंत्र कमीशन किए गए हैं, जिनमें से 40 एसएएएसएटी पहल और सीबीजी-सीजीडी सिंक्रोनाइजेशन योजना के तहत शामिल हैं।

सरकार समय-समय पर ओजीएमसीज, सीबीजी उत्पादकों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करके सीबीजी संयंत्र के निर्माण में बाधाओं, सीबीजी की अधिप्राप्ति, पाइपलाइन के विकास, अन्य सहायक बुनियादी ढांचे आदि से संबंधित मामलों की समीक्षा करती है और चुनौतियों का समाधान करने हेतु मामले को उठाती है।

इन समीक्षाओं के दौरान यह पाया गया है कि सीबीजी परियोजनाओं की स्थापना में बाधा डालने वाली बाधाओं में अन्य बातों के साथ-साथ भूमि से संबंधित मुद्दे, फीडस्टॉक की उपलब्धता और एकत्रीकरण, सांविधिक मंजूरी, वित्तपोषण, तकनीकी और वाणिज्यिक विचार और अन्य परियोजना-विशिष्ट कारक शामिल हैं।

पाइपलाइन अवसंरचना विकास (डीपीआई) योजना के तहत, पात्र सीबीजी उत्पादकों, नगर गैस वितरण (सीजीडी) कंपनियों और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रचालकों को सीबीजी निकासी और ऑफटेक की सुविधा के लिए सीबीजी संयंत्रों/समूहों और सीजीडी अथवा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क के बीच पाइपलाइन कनेक्टिविटी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

कनेक्टिंग पाइपलाइन परियोजना में बाधा उत्पन्न वाले कारक सीबीजी संयंत्र की तत्परता, परियोजना की तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता, सीबीजी-सीजीडी सिंक्रोनाइजेशन योजना के तहत त्रिपक्षीय समझौते का निष्पादन, सांविधिक मंजूरी और कनेक्टिविटी से संबंधित मुद्दे हैं।

सीबीजी संयंत्र कृषि अवशेषों, मवेशियों के गोबर और जैविक अपशिष्ट को स्वच्छ ईंधन और जैविक खाद में परिवर्तित करके चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। वे फीडस्टॉक एकत्रीकरण, परिवहन, संयंत्र निर्माण, प्रचालन और रखरखाव, रसद और जैव खाद प्रबंधन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करते हैं, जिससे उत्तर प्रदेश और जौनपुर संसदीय क्षेत्र सहित पूरे देश में तकनीकी और गैर-तकनीकी गतिविधियों में ग्रामीण युवाओं के लिए स्थायी आजीविका के अवसर पैदा होते हैं।

अनुलग्नक

'एसएटीएटी योजना के अंतर्गत संपीड़ित बायो-गैस सयंत्र' के संबंध में दिनांक 06.08.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3203 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

चालू हुए सीबीजी संयंत्र की राज्य/यूटी के हिसाब से जानकारी (31.07.2026 तक)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	**सीबीजी संयंत्र**
आंध्र प्रदेश	9
बिहार	2
छत्तीसगढ	3
दिल्ली	3
गोवा	1
गुजरात	27
हरियाणा	22
झारखंड	1
कर्नाटक	22
केरल	1
मध्य प्रदेश	14
महाराष्ट्र	27
ओडिशा	1
पंजाब	11
राजस्थान	12
तमिलनाडु	8
तेलंगाना	7
उत्तर प्रदेश	41
उत्तराखंड	4
पश्चिम बंगाल	1
कुल योग	**217**

(*स्रोत: गोबरधन पोर्टल*)
